न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— श्री औंकारमल मूण्ड (आर०टी०एस०)

मुकदमा नम्बरः— 01/2017

दायर दिनांकः— 15.03.2017

1. बल्लाराम पुत्र मांगुराम मेघवाल निवासी बागोली

बनाम

1. शीशराम, जगदीश, शंकर, हरिराम पिता भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी बागोली।
2. मक्खन, रोहिताश पुत्र गणपत जाति गुर्जर निवासी बागोली।
3. बनाराम पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी बागोली।
4. मदन, प्रभु, सरदारा, सांवर पिता किशन जाति गुर्जर निवासी बागोली।

निर्णय

निर्णय दिनांकः— 07.07.2017

07.07.2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बागोली में पेश हुई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बागोली से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 बी में दर्ज कर अप्रर्थीगण को तलब किया गया। अप्रर्थीगण ने दिनांक 31.03.2017 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 79, 80, 76, 77 हमारे नाम दर्ज रिकार्ड भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के सहारे—सहारे खसरा नं0 1593/77, 1594/79, 1595/80 की भूमि अवस्थित है। जिसकी खातेदारी अन्य व्यक्ति बल्लाराम के नाम से है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के सहारे—सहारे खसरा नं0 1593/77, 1594/79, 1595/80 रकबा 0.72 है0 बल्लाराम पुत्र मांगुराम बलाई निवासी बागोली की खातेदारी के टुकड़े स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि का प्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाकर अपने भूमि के सीमाचिन्ह कायम हो जाने के उपरान्त जो जमीन बल्लाराम के खसरा नं0 1593/77, 1594/79, 1595/80 की भूमि बचेगी वह बल्लाराम को देनें में प्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने कार्यवाही ड्रोप. करने का निवेदन किया। अपने जवाब में समर्थन में अप्रर्थी ने प्रर्थना पत्र के अलावा और कोई साक्ष्य सबूत आदि पेश नहीं किये। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.03.2017 का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072—75 के अनुसार ग्राम बागोली के खसरा नं0 38, 40, 41, 1592/81, 1593/77, 1594/79, 1595/80 कुल किता 7 कुल रकबा 2.52 है0 भूमि किस्म बारानी 1 दर्ज है। अप्रार्थीगणों ने ऐसा कोई ठोस सबूत अपने पक्ष में पेश नहीं किया जो किसी प्रकार से नियमित करता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगणों को कब्जेशुदा भूमि से बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

परिणामतः अप्रार्थीगण शीशराम, जगदीश, शंकर, हरिराम पिता भगवानाराम, मक्खन, रोहिताश पुत्र गणपत, बन्नाराम पुत्र मूलाराम, मदन, प्रभु, सरदारा, सांवर पिता किशन जातियान गुर्जर निवासी बागोली को ग्राम बागोली की भूमि खसरा नं0 1593/77, 1594/79, 1598/80 पर किये गये कब्जे को अवैध घोषित कर

तहसीलदार उदयपुरवाटी झुन्झुनूँ

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगणों को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अप्रार्थीगण शीशराम वगै0 निवासी बागोली को उक्त कब्जाशुदा भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू0अ0नि0 गुढ़ा व पटवारी हल्का बागोली आदेशानुसार बेदखली किये जाने के आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2017 को मेरे द्वारा टंकन करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

Scanned by CamScanner